

कार्यालय अधिष्ठाता, छात्र कल्याण
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़

कमांक 12/छात्र कल्याण/2025
प्रति,

बिलासपुर दिनांक 28.01.2025

समस्त विभागाध्यक्ष, /अधिष्ठातागण
विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

विषय:- छात्र कल्याण योजना के अंतर्गत छात्र-छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति बाबत।
महोदय/महोदया,

विगत वर्षों की भाँति विश्वविद्यालय के शिक्षण विभाग में सत्र 2024-2025 में अर्हतादायी छात्र - छात्राओं को छात्र कल्याण योजना के अंतर्गत विभिन्न छात्र-वृत्ति का लाभ दिया जाना है। इस संदर्भ में छात्र कल्याण विभाग द्वारा जारी पत्र कमांक 44/छात्र कल्याण /2024, दिनांक 07/10/2024 एवं 46/छात्र कल्याण/2024, बिलासपुर दिनांक 29/10/2024 जारी किया गया था। चूंकि कुछ छात्रों के आवेदन अभी भी प्राप्त हो रहे हैं, अतः पूर्व में दिये गये समय सीमा में बढ़ोतरी करते हुए, अर्हतादायी विद्यार्थियों के आवेदन पत्र के साथ अर्हता की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेखों को संलग्न करते हुए तथा संबंधित विभागाध्यक्ष की अनुशंसा उपरांत, संकायाध्यक्ष दिनांक 19/02/2025 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रेषित करेंगे।

संबंधित आवेदन पत्र एवं छात्र कल्याण योजनाओं की प्रति प्राप्ति हेतु, विश्वविद्यालय के वेब पटल का अवलोकन करें। विद्यार्थी विश्वविद्यालय के वेब पटल से आवेदन पत्र का प्रिंट प्राप्त कर सभी प्रविष्टियों को सावधानी पूर्वक भरने एवम् अपने हस्ताक्षर करने के उपरान्त सभी संबंधित स्वहस्ताक्षरित अभिलेखों का सत्यापित कर, विभागाध्यक्ष को 14/02/2025 तक प्रेषित करेंगे।

तत्पश्चात विभागाध्यक्ष, अभिलेखों का सत्यापित कर संकायाध्यक्ष, को 17/02/2025 तक प्रेषित करेंगे। संकायाध्यक्ष, अपने अध्ययनशाला के समस्त आवेदनों पर हस्ताक्षरोपरांत 19/02/2025 तक अधिष्ठाता, छात्र कल्याण कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करेंगे।

उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त होनेवाले आवेदन पत्रों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।

उक्त जानकारी से छात्र -छात्राओं सोशल मिडिया के माध्यम से अवगत कराते हुए इस सूचना को विभाग के सूचना पटल पर भी चस्पा कराये,।

आदेशानुसार



अधिष्ठाता छात्र कल्याण

बिलासपुर दिनांक 28.01.2025

पृ0क013/छात्र कल्याण/2025

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक की ओर माननीय कुलपति/कुलसचिव के सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी विभागाध्यक्षाओं की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. अधिष्ठाता विभिन्न अध्ययनशालाओं की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. परीक्षा नियंत्रक की ओर सूचनार्थ।
5. मुख्य छात्रवास अधीक्षक/अधीक्षक बालक/बालिका छात्रावास को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. समन्वयक (आई.टी.सेल.) की ओर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
7. कार्यालय प्रति।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

